न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 282/2021 दायर दिनाँक 28.09.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. छोटुराम पुत्र चोथाराम जाति जाट निवासी अगरोट, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री हीर सिंह बलारा वकील वादी

दिनाँक **04.10.2021**

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है यह है कि खेत खसरा सं0 160 रकबा 2.44 हैक्टे0 जिसके पुराने खसरा सं0 110 रकबा 15.01 बीघा, खसरा सं0 303 रकबा 2.04 बीघा जिसके पुराने खसरा सं0 218 रकबा 12.12 बीघा रहे है। वर्तमान खेत खसरा सं0 160 व 303 की खातेदारी में वादी के पिता चौथाराम की जगह सहव से पीथा अंकन कर दिया, जबकि पूर्व में संवत् 2023 से 2027 की जमाबंदी में चोथा पुत्र डूगां के नाम से सही खातेदारी दर्ज है, लेकिन बाद में राजस्व कर्मचारियों की गलती से चौथा पुत्र डूगां की जगह पथी पुत्र डूगां का अंकन कर खातेदरी में गलत नाम दर्ज कर दिया। जमाबंदी की नयी व पुरानी दोनो नकले वाद के साथ पेश है।

यह है कि वादी के आधार कार्ड, बैंक पास बुक में छोटुराम पुत्र चौथुराम नाम का अंकन है, तथा वादी के पिता स्वर्गीय चौथाराम के पहचान पत्र राशन कार्ड में भी चौथाराम पुत्र डूंगाराम दर्ज है, चौथाराम की मृत्यु दिनांक 18.09.2002 को हो चुकी है, वादी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, चौथाराम का पहचान पत्र, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण–पत्र व जमाबन्दी की नकल सम्वत् 2023 से 2027 तक वाद के साथ पेश है।

वादी की प्रार्थना निम्न प्रकार है–

यह है कि खेत खसरा सं0 160 रकबा 2.44 हैक्टे0 व खसरा सं0 303 रकबा 2.04 हैक्टे0 वाके अगरोट, तहसील डीडवाना की खातेदारी में वादी के पिता के नाम का गलत अंकन पिथा पुत्र डूगां की बजाय चौथाराम पुत्र डूंगा किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाने का आदेश प्रदान करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया [illegible] वादी सं0 01 को जरिये समन तलब किया गया। बावजूद तामिल [illegible] एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। [illegible] में जमाबन्दी ग्राम अगरोट सम्वत् 2074–2077, 2023–[illegible] की नई व पुरानी प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:57:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। वाद में वर्णित खसरा सं0 160 रकबा 2.44 हैक्टे0 व खसरा सं0 303 रकबा 2.04 हैक्टे0 में वादी के पिता का नाम पिथा पुत्र डूगां के स्थान पर चौथाराम पुत्र डुगां राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाकै सरहद अगरोट के खसरा सं0 160 रकबा 2.44 हैक्टे0 व खसरा सं0 303 रकबा 2.04 हैक्टे0 में वादी के पिता का नाम पिथा पुत्र डूगां के स्थान पर चौथाराम पुत्र डुगां राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **04.10.2021** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:57:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **282/2021** दायर दिनाँक **28.09.2021**

वादी		प्रतिवादीगण
1. छोटुराम पुत्र चोथाराम जाति जाट निवासी अगरोट, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक **04.10.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीर सिंह बलारा वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद अगरोट के खसरा सं0 160 रकबा 2.44 हैक्टे0 व खसरा सं0 303 रकबा 2.04 हैक्टे0 में वादी के पिता का नाम पिथा पुत्र डूगां के स्थान पर चौथाराम पुत्र डुगां राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **04.10.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल [illegible] डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:57:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner